उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-स०मा०)

15/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस वकील उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी बाके ग्राम मोरपा तहसील बामनवास के अनुसार संवत 2069-72 के अनुसार विवादित आ. ख. नं. 149 रकबा 0.08 हेक्टर गैर सायल धीरया S/o नारायण जाति बैरवा निवासी मोरपा तहसील बामनवास के नाम खातेदारी भूमि होना राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। वकील सायल ने अपनी बहस में अवगत कराया है कि संवत 2019 के एकीकरण में गलत रूप से ख. नं. बना कर गैर सायल के खाते में जोड दिये गये

थे जिसकी दुरस्ती का दावा न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है। सेटलमेन्ट ने जो नये ख.न. बनाये हैं। उसमें कुल रकबा 0.08 हेक्टर कम कर गैर सायल की खातेदारी में लगा दिये गये हैं। जिस पर गैर सायल का कब्जा भी नहीं है। अतः गैर सायल को को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। हमारे द्वारा वकील उभय पक्ष को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि आ.ख.न. 149 रकबा 0.08 हेक्टर बाके ग्राम भोरपा गैर सायल की खातेदारी भूमि होना दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख.न. से हाल ख.न. बना है वह रिकार्ड अनुसार प्रमाणित होकर सिद्ध नहीं हो रहा है। जिससे यह सिद्ध हो सके की सायल की खातेदारी भूमि से कम होकर गैर सायल के खाते में दर्ज हुई है सायल रिकार्ड एवं दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा है। जिसके कारण सायल का प्रा. पत्र T.I खारीज किये जाने योग्य है।

अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र T.I खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15-11-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उप जिला कलक्टर
बामनवास जिला-स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Paridwal
Date: 2019.12.04 14:19:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: